

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,
विशाल कॉम्प्लेक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद-बलरामपुर, बाराबंकी, बदायूं, गोण्डा, कौशाम्बी, पीलीभीत, संतकबीर नगर, श्रावस्ती,
सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, फर्रुखाबाद, कन्नौज, महाराजगंज एवं रामपुर।

पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/SNCU/36/2015-16/7301-15 दिनांक 13.10.2015

विषय-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला महिला चिकित्सालयों में स्थापित एस०एन०सी०यू० को क्रियाशील बनाये जाने के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से आपके जनपदों के महिला चिकित्सालय में "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCU) को क्रियाशील किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/SNCU/36-5/2014-15/1426-19, दिनांक 25.06.2014 के माध्यम से "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCU) की स्थापना तथा उपकरणों के क्रय हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देश दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे।

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2015-16 की आर०ओ०पी० में "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCU) को क्रियाशील करने हेतु आपरेशनल कास्ट एवं मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि नीचे दी गयी तालिकानुसार जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है। धनराशि प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय को स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें।

वित्त पोषण

भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2015-16 में स्वीकृत की गयी धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाय।

1- Operational Cost

- नीचे दी गयी तालिका के अनुसार FMR Code- A.2.2.1 पर ऑपरेशनल कॉस्ट मद में औषधियाँ, कन्जुमेबिल्स आदि ए०एम०सी० एवं उपकरणों के अनुरक्षण एवं इकाई को क्रियाशील बनाये रखने हेतु छोटे-मोटे उपकरण की क्रय एवं अन्य आवश्यक सामग्री एस०एन०सी०यू० इन्चार्ज की आवश्यकतानुसार क्रय किये जायें सी०एम०एस० द्वारा बिना इनकी लिखित परामर्श के धनराशि का उपयोग न किया जाये।

2- Human Resource

- एस०एन०सी०यू० संविदा बालरोग विशेषज्ञों- प्रति इकाई 3 संविदा बालरोग विशेषज्ञ- एम०डी०-पिडियाट्रिक्स/डी०सी०एच० के मानदेय हेतु FMR Code- A.8.1.3.5.d पर रू० 65000/- प्रतिमाह की दर से 6 माह के मानदेय हेतु नीचे दी गयी जनपदवार तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
- एस०एन०सी०यू० संविदा स्टॉफ नर्स- मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत स्टाफ नर्स को संविदा पर तैनात किया जायेगा। प्रति इकाई 8 स्टाफ नर्स के मानदेय हेतु FMR Code- A.8.1.1.2.f पर रू० 18150/- प्रतिमाह की दर से 6 माह के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

- एस0एन0सी0यू0 संविदा सफाई कर्मी/वार्ड आया- को आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखा जायेगा प्रति इकाई 4 सफाई कर्मी/वार्ड आया मानदेय हेतु FMR Code-A.8.1.11.f पर रू0 6,400/- प्रतिमाह की दर से 9 माह के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

SNCU Operational Cost & Contractual HR Funds allocation 2015 - 16									
Sl. No.	Name of Districts	operational cost for 9 months	Pediatrician		Staff Nurse		Cleaner/ Ward Ayah		Total Funds released to District
			No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	
			Pediatrician Honorarium @ Rs.65000/- p.m.	Pediatrician Honorarium (For 6 months)	Staff Nurse Honorarium @ Rs.18150/- p.m.	Pediatrician Honorarium (For 6 months)	Honorarium @ 6400/- p.m.	Cleaner/ Ward Ayah Honorarium (For 9 months)	
	FMR Code	A.2.2.1	A.8.1.3.5.d		A.8.1.1.2.f		A.8.1.11.f		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Balrampur	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
2	Barabanki	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
3	Badaun	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
4	Gonda	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
5	Kaushambi	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
6	Pilibhit	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
7	Sant Kabir Nagar	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
8	Shrawasti	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
9	Siddhartha Nagar	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
10	Sitapur	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
11	Sonebhadra	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
12	Farrukhabad	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
13	Kannauj	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
14	Maharajganj	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
15	Rampur	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
Total funds released to DHS (In Rs.)		13500000	45	17550000	120	13068000	60	3456000	47574000

नोट:-

- जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
- किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये जिला महिला चिकित्सालय की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित कराये।
- प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मद वार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।

5. धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व, व्यय विवरण तथा मद वार अवशेष धनराशि की जानकारी कर ली जाय। यदि धनराशि **Revalidate** की गयी है तो उसका समय से उपयोग करने के उपरान्त, मॉग के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाय। यदि धनराशि Unspent के रूप में है तो धनराशि को समायोजित करके इस वर्ष दी जा रही धनराशि की सीमा तक अवमुक्त की जाय।
6. इस कार्यालय के पत्र संख्या- एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012-13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96-2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

मानव संसाधन

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद स्तर पर मानव संसाधन के चयन हेतु चयन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दें। परन्तु संविदा पर मानव संसाधन की तैनाती के आदेश सिक न्यूबोर्न केयर इकाई की स्थापना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदनोपरान्त जारी किये जायें।
2. चयन की प्रक्रिया पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार की जाये। संविदा कर्मियों हेतु विज्ञापन प्रादेशिक दैनिक 2 हिन्दी समाचार पत्र एवं 1 अंग्रेजी समाचार में अवश्य दिया जाय। चयन समिति द्वारा संविदा पर चयनित अभ्यर्थियों के तैनाती के आदेश, जनपद में सिक न्यूबोर्न केयर इकाई की स्थापना के उपरान्त ही निर्गत किये जायें इसका उल्लेख विज्ञापन प्रकाशित करने में किया जाये।
3. एस0एन0सी0यू0 पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान पर कार्य करने के लिये न लगाया जाय। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
1. एस0एन0सी0यू0 पर तैनात स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन को 4 दिवसीय फेसिलटीबेस्ड न्यूबोर्न केयर (FBNC) प्रशिक्षण तदोपरान्त 12 कार्य दिवसीय Observership-FBNC प्रशिक्षण कलावती सरण चिल्ड्रेन हॉस्पिटल दिल्ली में दिया जाना प्रस्तावित है। यह प्रशिक्षण स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन को प्राप्त करना अनिवार्य है। जब प्रशिक्षण हेतु पत्र राज्य स्तर से भेजा जायेगा, स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करना होगा। नामांकन आदेश के उपरान्त यदि स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे तो ऐसी स्थिति में उस अवधि का वेतन रोका जा सकता है।
2. यह सुनिश्चित किया जाय कि स्टाफ नर्स/चिकित्सक अपने ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रेस में कार्य करें।

जनपदों को एन0आर0एच0एम0 की धनराशि के नियमानुसार व्यय करने के सम्बन्ध में भारत सरकार से प्राप्त “ऑपरेशनल गाइड लाइन फॉर फाईनेशियल मैनेजमेन्ट” का पालन करना होगा इसकी प्रति नोडल अधिकारी को प्राप्त कराने का कष्ट करें।

अनुरोध है कि कृपया अपने जनपद की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय / जिला चिकित्सालय नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 से समन्वय करते हुये 15 दिन के अन्दर धनराशि अवमुक्त करने की समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा निर्देशित किया गया है कि “सिक न्यूबोर्न केयर इकाई” (SNCU) का निर्माण/स्थापना का कार्य तत्काल पूर्ण कर इकाई क्रियाशील की जाये। जिसकी सूचना प्रमाण पत्र सहित महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, को तत्काल उपलब्ध करायें।

इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर०सी०एच०, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो०न० 09412235596 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के मो०न० 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,
9 अक्टूबर 2015
(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक
दिनांक

पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू० / CH/SNCU / 36 / 2015-16 /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें, स्वास्थ्य भवन उ०प्र०, लखनऊ।
3. महानिदेशालय, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशानिर्देश भेजने एवं एस०एन०सी०यू० की क्रियाशीलता एवं अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
6. संयुक्त निदेशक, आर०सी०एच० परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, जनपद-बलरामपुर, बाराबंकी, बदायूं, गोण्डा, कौशाम्बी, पीलीभीत, संतकबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, फर्रुखाबाद, कन्नौज, महाराजगंज एवं रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8. सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय, कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
9. ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ, बी-3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ०प्र०।

(डा० अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,
विशाल कॉम्प्लेक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद-बलरामपुर, बाराबंकी, बदायूं, गोण्डा, कौशाम्बी, पीलीभीत, संतकबीर नगर, श्रावस्ती,
सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, फर्रुखाबाद, कन्नौज, महाराजगंज एवं रामपुर।

पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू० / CH/SNCU / 36 / 2015-16 /

दिनांक

विषय-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला महिला चिकित्सालयों में स्थापित एस०एन०सी०यू० को क्रियाशील बनाये जाने के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से आपके जनपदों के महिला चिकित्सालय में "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCU) को क्रियाशील किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू० / CH/SNCU / 36-5 / 2014-15 / 1426-19, दिनांक 25.06.2014 के माध्यम से "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCU) की स्थापना तथा उपकरणों के क्रय हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देश दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे।

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2015-16 की आर०ओ०पी० में "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCU) को क्रियाशील करने हेतु ऑपरेशनल कास्ट एवं मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि नीचे दी गयी तालिकानुसार जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है। धनराशि प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय को स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें।

वित्त पोषण

भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2015-16 में स्वीकृत की गयी धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाय।

1- Operational Cost

- नीचे दी गयी तालिका के अनुसार FMR Code- A.2.2.1 पर ऑपरेशनल कॉस्ट मद में औषधियाँ, कन्ज्यूमेबिल्स आदि ए०एम०सी० एवं उपकरणों के अनुरक्षण एवं इकाई को क्रियाशील बनाये रखने हेतु छोटे-मोटे उपकरण की क्रय एवं अन्य आवश्यक सामग्री एस०एन०सी०यू० इन्वार्ज की आवश्यकतानुसार क्रय किये जायें सी०एम०एस० द्वारा बिना इनकी लिखित परामर्श के धनराशि का उपयोग न किया जाये।

2- Human Resource

- एस०एन०सी०यू० संविदा बालरोग विशेषज्ञों- प्रति इकाई 3 संविदा बालरोग विशेषज्ञ- एम०डी०-पिडियाट्रिक्स/डी०सी०एच० के मानदेय हेतु FMR Code- A.8.1.3.5.d पर रू० 65000/- प्रतिमाह की दर से 6 माह के मानदेय हेतु नीचे दी गयी जनपदवार तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
- एस०एन०सी०यू० संविदा स्टॉफ नर्स- मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत स्टाफ नर्स को संविदा पर तैनात किया जायेगा। प्रति इकाई 8 स्टाफ नर्स के मानदेय हेतु FMR Code- A.8.1.1.2.f पर रू० 18150/- प्रतिमाह की दर से 6 माह के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

- एस0एन0सी0यू0 संविदा सफाई कर्मी/वार्ड आया- को आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखा जायेगा प्रति इकाई 4 सफाई कर्मी/वार्ड आया मानदेय हेतु FMR Code-A.8.1.11.f पर रू0 6,400/- प्रतिमाह की दर से 9 माह के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

SNCU Operational Cost & Contractual HR Funds allocation 2015 - 16									
Sl. No.	Name of Districts	operational cost for 9 months	Pediatrian		Staff Nurse		Cleaner/ Ward Ayah		Total Funds released to District
			No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	
			Pediatrian @ Rs.65000/- p.m.	Pediatrian Honorarium (For 6 months)	Staff Nurse @ Rs.18150/- p.m.	Pediatrian Honorarium (For 6 months)	Honorarium @ 6400/- p.m.	Cleaner/ Ward Ayah honorarium (For 9 months)	
	FMR Code	A.2.2.1	A.8.1.3.5.d		A.8.1.1.2.f		A.8.1.11.f		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Balrampur	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
2	Barabanki	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
3	Badaun	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
4	Gonda	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
5	Kaushambi	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
6	Pilibhit	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
7	Sant Kabir Nagar	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
8	Shrawasti	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
9	Siddhartha Nagar	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
10	Sitapur	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
11	Sonebhadra	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
12	Farrukhabad	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
13	Kannauj	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
14	Maharajganj	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
15	Rampur	900000	3	1170000	8	871200	4	230400	3171600
Total funds released to DHS (In Rs.)		13500000	45	17550000	120	13068000	60	3456000	47574000

नोट:-

- जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
- किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये जिला महिला चिकित्सालय की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित कराये।
- प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मद वार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।

5. धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व, व्यय विवरण तथा मद वार अवशेष धनराशि की जानकारी कर ली जाय। यदि धनराशि **Revalidate** की गयी है तो उसका समय से उपयोग करने के उपरान्त, माँग के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाय। यदि धनराशि Unspent के रूप में है तो धनराशि को समायोजित करके इस वर्ष दी जा रही धनराशि की सीमा तक अवमुक्त की जाय।
6. इस कार्यालय के पत्र संख्या- एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012-13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96-2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

मानव संसाधन

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद स्तर पर मानव संसाधन के चयन हेतु चयन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दें। परन्तु संविदा पर मानव संसाधन की तैनाती के आदेश सिक न्यूबोर्न केयर इकाई की स्थापना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदनोपरान्त जारी किये जायें।
2. चयन की प्रक्रिया पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार की जाये। संविदा कर्मियों हेतु विज्ञापन प्रादेशिक दैनिक 2 हिन्दी समाचार पत्र एवं 1 अंग्रेजी समाचार में अवश्य दिया जाय। चयन समिति द्वारा संविदा पर चयनित अभ्यर्थियों के तैनाती के आदेश, जनपद में सिक न्यूबोर्न केयर इकाई की स्थापना के उपरान्त ही निर्गत किये जायें इसका उल्लेख विज्ञापन प्रकाशित करने में किया जाये।
3. एस0एन0सी0यू0 पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान पर कार्य करने के लिये न लगाया जाय। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
1. एस0एन0सी0यू0 पर तैनात स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन को 4 दिवसीय फेसिलटीबेस्ड न्यूबोर्न केयर (FBNC) प्रशिक्षण तदोपरान्त 12 कार्य दिवसीय Observership-FBNC प्रशिक्षण कलावती सरण चिल्ड्रेन हॉस्पिटल दिल्ली में दिया जाना प्रस्तावित है। यह प्रशिक्षण स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन को प्राप्त करना अनिवार्य है। जब प्रशिक्षण हेतु पत्र राज्य स्तर से भेजा जायेगा, स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करना होगा। नामांकन आदेश के उपरान्त यदि स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे तो ऐसी स्थिति में उस अवधि का वेतन रोका जा सकता है।
2. यह सुनिश्चित किया जाय कि स्टाफ नर्स/चिकित्सक अपने ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रेस में कार्य करें।

जनपदों को एन0आर0एच0एम0 की धनराशि के नियमानुसार व्यय करने के सम्बन्ध में भारत सरकार से प्राप्त “ऑपरेशनल गाइड लाइन फॉर फाईनेशियल मैनेजमेन्ट” का पालन करना होगा इसकी प्रति नोडल अधिकारी को प्राप्त कराने का कष्ट करें।

अनुरोध है कि कृपया अपने जनपद की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय / जिला चिकित्सालय नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 से समन्वय करते हुये 15 दिन के अन्दर धनराशि अवमुक्त करने की समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा निर्देशित किया गया है कि “सिक न्यूबोर्न केयर इकाई” (SNCU) का निर्माण/स्थापना का कार्य तत्काल पूर्ण कर इकाई क्रियाशील की जाये। जिसकी सूचना प्रमाण पत्र सहित महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, को तत्काल उपलब्ध करायें।

इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर०सी०एच०, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो०न० 09412235596 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के मो०न० 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू० / CH/SNCU / 36 / 2015-16 / 7301-15 (9) दिनांक 13.10.2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें, स्वास्थ्य भवन उ०प्र०, लखनऊ।
3. महानिदेशालय, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशानिर्देश भेजने एवं एस०एन०सी०यू० की क्रियाशीलता एवं अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
6. संयुक्त निदेशक, आर०सी०एच० परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, जनपद-बलरामपुर, बाराबंकी, बदायूं, गोण्डा, कौशाम्बी, पीलीभीत, संतकबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, फर्रुखाबाद, कन्नौज, महाराजगंज एवं रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8. सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय, कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
9. ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ, बी-3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ०प्र०।

(डा० अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य